GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF DEFENCE
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2918
TO BE ANSWERED ON 17th March, 2023

TRANSMISSION ERRORS IN PENSION DISBURSEMENT

2918. KUNWAR DANISH ALI:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the Government has taken into cognizance the transmission errors highlighted by the CAG report on Defence Services (2017) in nearly 75 per cent of pension disbursements;

(b) if so, the details thereof along with the steps undertaken to investigate and address these transmission errors;

(c) whether the Government has taken measures to balance the payment between the pension guaranteed and pension disbursed;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor along with the expected timeline to address these deficiencies?

A N S W E R

MINISTER OF STATE (SHRI AJAY BHATT)
IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(a): Yes, Sir.

(b): The Principal Controller of Defence Accounts (Pension), Prayagraj vide their letter No. AT/PSB/VII/BOB dated 02.12.2021, AT/PSB/ VIII/SBI/ CPPC/Patna dated December 2021, AT/PSB/ VIII/CPPC/BOM dated Dec 2021, AT/PSB/III/SBI GHY/MISC/ 2021 dated 01.12.2021, AT/PSB/III/SBI Mumbai/Misc/2021dated 01.12.2021, AT/PSB/III/CBI Mumbai/Misc/2021 dated 01.12.2021, AT/TRY/FARRUKHABAD/UP/2022 dated 11.05.2022 has taken up the matter with the concerned Banks' Central Pension Processing Cells (CPPCs)/Pension Disbursement Agencies (PDAs) to improve the systematic inefficiencies.

2. The recently implemented web-based pension sanctioning and disbursement system namely "System of Pension Administration – Raksha" (SPARSH) envisages to mitigate theproblems highlighted in the C&AG Report, which in Para 4.12 of the Report has highlighted the systemic inefficiencies as *'Symptomatic'*thereby underscoring the need for a more robust pension disbursement system.

(c): Yes,Sir.

(d): To overcome the systemic inefficiencies as highlighted by the CAG report on Defence Services (2017), the Govt of India has implemented a robust and comprehensive web-based pension sanctioning and disbursement system named as SPARSH for defence pensioners providing for online processing of pension claims involving initiation, pensioner data verification, audit authentication, sanctioning and disbursement on one single platform.

(e): Not Applicable in view of reply to part (d) above.

*****

https://www.staffnews.in

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2918
17 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

पेंशन संवितरण में संचरण त्रुटियां

2918. कुंवर दानिश अली:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा सेवाओं पर सीएजी रिपोर्ट (2017) द्वारा लगभग 75 प्रतिशत पेंशन संवितरण में उजागर की गई संचरण त्रुटियों का संज्ञान लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन संचरण त्रुटियों की जांच करने और उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार ने गारंटीकृत पेंशन और संवितरित पेंशन के बीच भुगतान को संतुलित करने के उपाय किए हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) जी, हाँ।

(ख) 1. प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन), प्रयागराज ने अपने पत्र संख्या एटी/पीएसबी/VII/बीओबी दिनांक 02.12.2021, एटी/पीएसबी/VIII/एसबीआई/सीपीपीसी/पटना

https://www.staffnews.in

दिनांक दिसंबर 2021, एटी/पीएसबी/VIII/सीपीपीसी/बीओएम दिनांक दिसंबर, 2021, एटी/पीएसबी/III/एसबीआई जीएचवाई/एमआईएससी/ 2021 दिनांक 1.12.2021, एटी/पीएसबी/III/एसबीआई मुम्बई/विविध/2021 दिनांक 1.12.2021, एटी/पीएसबी/III/सीबीआई मुम्बई/विविध/2021 दिनांक 1.12.2021, एटी/टीआरवाई/फर्रूखाबाद/यूपी/2022 दिनांक 11.5.2022 के तहत प्रणालीगत कमियों में सुधार के लिए सम्बन्धित बैंकों को केन्द्रीय पेंशन प्रोसेसिंग प्रकोष्ठों (सीपीपीसी)/ पेंशन भुगतान एजेंसियों (पीडीए) के समक्ष मामले को उठाया है।

2. हाल ही में लागू किया गया स्पर्श नामक वेब-आधारित पेंशन स्वीकृति और संवितरण प्रणाली में सी एण्ड एजी रिपोर्ट में उल्लिखित समस्याओं के प्रशमन की परिकल्पना है, जिसमें रिपोर्ट के पैरा 4.12 में प्रणालीगत कमियों को 'सिम्टेमेटिक' के रूप में उल्लिखित किया गया है, जिसके द्वारा अधिक सुदृढ़ संवितरण प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) रक्षा सेवाओं (2017) पर सीएजी रिपोर्ट द्वारा उल्लिखित प्रणालीगत कमियों के समाधान के लिए भारत सरकार ने रक्षा पेंशनभोगियों के लिए 'पेंशन प्रशासन की प्रणाली-रक्षा (स्पर्श)' नामक एक सुदृढ़ और विस्तृत वेब आधारित पेंशन स्वीकृति और संवितरण प्रणाली को लागू किया है जिसमें केवल एक पटल पर पेंशन प्रारंभ करने की प्रक्रिया, पेंशनभोगी का डेटा जांच, लेखा प्रमाणीकरण, स्वीकृति और संवितरण सहित पेंशन दावों की ऑनलाइन प्रक्रिया का प्रावधान है।

(ङ.) उपरोक्त मद (घ) के उत्तर के दृष्टिगत लागू नहीं।

*****

https://www.staffnews.in